

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फॅक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.नग(-)का/एसएमई/डीएलबी/19/4412

दिनांक: 17/6/19

—:आदेश:—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री जितेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक	डूंगरपुर	सागवाडा
2.	श्री राजेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सागवाडा	डूंगरपुर
3.	श्री शशी पत्नी राजेश	जमादार	नगर निगम भरतपुर	नगर निगम भरतपुर में सफाई निरीक्षक के पद के विरुद्ध कार्यव्यवस्थार्थ
4.	श्री रामप्रसाद चौधरी	सहायक प्रशा0अधि0	ब्यावर	किशनगढ़
5.	ममता हरिजन पत्नि श्री सूरज	सफाई कर्मचारी	परबतसर	मकराना
6.	श्री रघुनाथ दान चारण	कनिष्ठ सहायक	लाडनू	श्रीडूंगरगढ़
7.	श्री अनिल तवर	स्वास्थ्य निरीक्षक	श्रीडूंगरगढ़	एपीओ निदेशालय
8.	कचनदेवी पत्नी पीटर	सफाई कर्मचारी	रतननगर	श्रीडूंगरगढ़
9.	प्रियका मलघट पुत्री राकेश	सफाई कर्मचारी	रतनगढ़	श्रीडूंगरगढ़
10.	सोनू पत्नी मनोज	सफाई कर्मचारी	तारानगर	श्रीडूंगरगढ़
11.	श्री मुस्तकीम अंसारी	कनिष्ठ लिपिक	केशवरायपाटन	नैनवा
12.	श्री आशीष श्रृंगी	कनिष्ठ लिपिक	केशवरायपाटन	नैनवा
13.	श्री विजय चौहान	कनिष्ठ सहायक	चित्तौड़गढ़ (स्थानान्तरणधीन)	नगर विकास न्यास उदयपुर
14.	श्री गोपाल गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	जैतारण (स्थानान्तरणधीन)	नाथद्वारा
15.	श्रीमती ऊषा देवी	सफाई कर्मचारी	भिवाड़ी	वैर
16.	श्री गिरधारीलाल	सफाई कर्मचारी	बीदासर	एपीओ निदेशालय
17.	श्री पारसमल	सफाई कर्मचारी	रावतभाटा	जालोर

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।

04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/4413-4467

दिनांक : 19/06/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी नगर निगम/पालिका/परिषद.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....
6. संबंधित कर्मचारी
7. सुरक्षित पत्रावली।



(अलका मिश्रा)

उप निदेशक (प्रशासन)